



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4003]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 13, 2019/ अग्रहायण 22, 1941

No. 4003]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 13, 2019/AGRAHAYANA 22, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2019

**का.आ. 4454(अ).**—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार यह निर्धारित करने के लिए कि क्या हन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच एन एल सी) को विधिविरुद्ध संघ घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं, एतद्वारा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. कोटीश्वर सिंह की अध्यक्षता में “विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण” का गठन करती है।

[फा.सं. 11011/02/2019-एनई-V]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2019

**S.O. 4454(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby constitutes “The Unlawful Activities (Prevention) Tribunal” consisting of Shri Justice N. Kotiswar Singh, Judge of Gauhati High Court, for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) of Meghalaya as unlawful association.

[F. No.11011/02/2019-NE.V]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.